अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

CHAIRMAN COUNSELLING COMMITTEE & DIRECTOR OF TECHNICAL EDUCATION, M.P.

चतुर्थ तल, सतपुड़ा भवन, भोपाल–462 004. 4th Floor, Satpuda Bhawan, Bhopal-462 004

ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउसंलिंग–2011
बी.ई (केवल प्रथम वर्ष में प्रवेशित अभ्यर्थियों हेतु)
प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तन हेतु सूचना
(Notice for Branch Change in Admitted Institute)

बी.ई. पाठ्यक्रमों में प्रथम/द्वितीय चरण की केन्द्रीयकृत ऑनलाइन ऑफ कैम्पस काउंसलिंग के उपरान्त आवंटित संस्था में प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी प्रवेशित संस्था में ही ब्रांच परिवर्तन चाहते हैं तो वे अपनी प्रवेशित संस्था में आंतरिक ब्रांच परिवर्तन की काउंसलिंग में निम्ननिखित प्रक्रिया के अनुसार सम्मलित हो सकते हैः–

1. प्रवेशित संस्था में उपलब्ध ब्रान्चों में आंतरिक ब्रान्च परिवर्तन हेतु दिनांक 07/09/2011 से दिनांक 12/09/2011 (कार्यालयीन समय में प्रातः 10:30 से शाम 5:30) तक काउंसलिंग के लिये अधिकृत सहायता केन्द्रों (शासकीय/स्वशासी/अनुदान प्राप्त इंजीनियरिंग महाविद्यालय/पोलीटेक्निक महाविद्यालय/महिला पोलीटेक्निक महाविद्यालय) पर उपस्थित होकर, प्राथमिकताक्रम लॉक करनी होगी।

2. अभ्यर्थियों को प्रवेशित संस्था में उपलब्ध ब्रान्चों में से ही ब्रान्च परिवर्तन हेतु काउंसलिंग के लिये अधिकृत सहायता केन्द्रों पर उपस्थित होकर, इच्छित ब्रान्चों को प्राथमिकता क्रम से चयन कर लॉक करना होगा। इस हेतु उम्मीदवार को ₹ 100/– (₹ 30/– पोर्टल शुल्क सहित) शुल्क देय होगा, जो वापसी योग्य नहीं (नॉन–रिफण्डेबल) होगा।

3. अभ्यर्थी जो अपनी प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तन चाहतें है वे ही केवल इच्छुक ब्रांच का प्राथमिकताक्रम में चयन करें। ऐसे अभ्यर्थी उनकी प्रवेशित संस्था में न्यूनतम एक तथा अधिकतम सभी उपलब्ध ब्रांच का चयन कर सकते हैं।

4. प्रवेशित संस्था में ब्रांचवार उपलब्ध रिक्त स्थानों के आधार पर सर्वप्रथम पीईटी–2011 के अभ्यर्थियों का मेरिट अनुसार ब्रांच परिवर्तन किया जावेगा। इसके पश्चात् अर्हकारी परीक्षा के मेरिट अंकों के आधार पर प्रवेशित अभ्यर्थियों की ब्रांच परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

5. अभ्यर्थियों को अधिकृत सहायता केन्द्र पर, प्रवेशित संस्था द्वारा ऑनलाइन दिये गये प्रवेश पत्र एवं अपने फोटो आई.डी (मूल) के साथ उपस्थित होना होगा।

6. आंतरिक ब्रान्च परिवर्तन का आवंटन दिनांक 14/09/2011 को ऑनलाईन वेबसाइट www.mponline.gov.in, पर उपलब्ध होगा।

7. प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तित होने की दशा में अभ्यर्थी की पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश स्वतः निरस्त हो जावेगा तथा नई आवंटित ब्रांच में उसका प्रवेश ही मान्य होगा।
8. प्रवेशित संस्था में ब्रांच परिवर्तित नहीं होने की दशा में अभ्यर्थी की पूर्व आवंटित ब्रांच का प्रवेश यथावत रहेगा।
9. अभ्यर्थी ऑनलाईन जारी आंतरिक ब्रान्च परिवर्तन का आवंटन पत्र का प्रिन्ट आउट, अपने पास अवश्य रखें एवं एक प्रति प्रवेशित संस्था में जमा करें।
10. संस्था द्वारा ब्रांच परिवर्तन के उपरान्त समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची (ब्रांचवार), संस्था के सूचना पटल पर चस्पा करेंगे तथा अभ्यर्थियों को भी इसकी सूचना देंगें।
11. आंतरिक ब्रान्च परिवर्तन के उपरान्त अभ्यर्थी वेबसाइट www.mponline.gov.in, पर "Check Candidate Status" के Link पर अपनी ब्रांच परिवर्तन की स्थिति का अवलोकन अवश्य कर लें।

20/9/11

अध्यक्ष काउंसलिंग समिति एवं
संचालक तकनीकी शिक्षा
मध्यप्रदेश